राजस्थान सरकार निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी / 2022 / । २८।

दिनांकः 22-12-22

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

> विषय:—कोविड—19 के नियंत्रण, रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक गतिविधियाँ करवाने बाबत्। संदर्भ:—निदेशालय के पूर्व पत्रांक आईडीएसपी/2022/1387 दिनांक 21.12.22 के कम

में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड—19 के बचाव व नियंत्रण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित है जबिक वर्तमान में जापान, यू.एस.ए., रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ब्राजील एवं चाईना में कोविड—19 में आकस्मिक वृद्धि देखी गयी है। अतः निर्देशानुसार प्रदेश में भी कोविड—19 के बचाव एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी है। उक्त कम में निर्देशित किया जाता है कि निम्न गतिविधियाँ प्रभावी एवं नियमित रूप से करवाना सुनिश्चित करावें:—

- स्कीनिंग_—जिले में एक्टिव सर्विलेंस के माध्यम से प्रभावी घर—घर सर्वे कर आईएलआई रोगियों की पहचान कर वांछित कार्यवाही की जावें।
- ओ.पी.डी. स्कीनिंग—ओपीडी में आने वाले संदिग्ध रोगियों का सैम्पल लेकर कोविड की जांच करावें तथा ओपीडी में आने वाले SARI रोगियों की पृथक से पहचान कर उनकी जांच एवं उपचार स्निश्चित करावें।
- जीनोम सीक्वेसिंगः—समस्त मेडिकल कॉलेज एवं निजी संस्थानों से समन्वय स्थापित कर जीनोम सीक्वेसिंग हेतू सभी कोविड—19 पॉजिटिव रोगियों के सैम्पल की व्यवस्था करें।
- रेण्डम सैम्पलिंगः—रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, सब्जी मंडी, विद्यालय एवं अन्य भीड—भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड लक्षणों वाले संदिग्ध रोगियों की रेण्डम सैम्पलिंग करवायी जावें।
- <u>हाई रिस्क ग्रुप</u>:-एक्टिव सर्वे एवं ओपीडी में आने वाले हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान कर तुरन्त उपचार करवाना सुनिश्चित करें।
- <u>दिशा–निर्देशों की पालना</u>:–भारत एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों यथा स्कीनिंग, सैम्पल कलेक्शन, रेण्डम सैम्पलिंग, उपचार, डिस्चार्ज इत्यादि की पालना सुनिश्चित की जावें।
- अन्तर्विभागीय समन्वयः जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अन्य विभागों यथा पुलिस, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, आयूष, आईएमए से अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुये समय समय पर आवश्यकतानुसार कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समीक्षा की जावें।
- आर.आर.टी.:—प्रत्येक संस्थान पर गठित रेपिड रेस्पॉस टीम को कार्यशील रहने के निर्देश प्रदान करें।
- <u>लॉजिस्टिकः</u>—समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों को लॉजिस्टिक एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- प्रचार-प्रसार:-घर-घर सर्वे के दौरान कोविड एवं अन्य मौसमी बिमारियों के लक्षण व उससे बचने के उपाय एवं विभागीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं का प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करें।

• <u>नियंत्रण कक्षः</u>—जिला व खण्ड पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को कार्यशील रखें तथा उक्त से आमजन को अवगत करावें।

> निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी / 2022 / \39\

दिनांकः 22-12-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
- निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
- समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०), मुख्यालय।
- राज्य नोडल अधिकारी, आईडीएसपी, मुख्यालय।
- समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, राजस्थान।
- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 10. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), मुख्यालय।
- 11. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने बाबत्।
- 12. रक्षित प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर